

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 100/2011 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 28.02.2011

फाइलिंग नंबर : 230303002812011

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सियाराम पुत्र रामधुन गुर्जर उम्र 41 वर्ष व्यवसाय खेती
निवासी ग्राम कैथोदा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा—294, 323/34, 341, 327, 506 भाग दो भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य)

(आरोपी सियाराम द्वारा अधिवक्ता—श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव)

निर्णय

(आज दिनांक. 10/10/17 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 19.10.10 दिन के लगभग 11 बजे बाराहेड बकनासा के बीच बम्बा की पुलिया आम रोड पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी सतेन्द्र तौमर को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, सतेन्द्र तौमर को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करने, सतेन्द्र तौमर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सतेन्द्र तौमर की लात घूंसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी सतेन्द्र तौमर से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसकी लात घूंसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 341, 506 भाग दो, 323/34, एवं 327 के अंतर्गत आरोप है।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी रामचित्र के विरुद्ध पूर्व में निर्णय घोषित किया जा चुका है एवं आरोपी सियाराम के फरार होने के कारण उसके उपस्थित होने के पश्चात आज दिनांक को आरोपी सियाराम के विरुद्ध निर्णय घोषित किया जा रहा है।

03. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.10 को फरियादी सतेन्द्र दिन के करीबन 11 बजे बाराहेड से ग्राम बकनासा मोटरसाइकिल से जा रहा था तो रोड पर बम्बा की पुलिया के पास सामने से आरोपी रामचित्र एवं सियाराम आ रहे थे। आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया था और उससे शराब पीने के लिए चार सौ रुपये मांगे थे उसने आरोपीगण को पैसे देने से मना किया था तो आरोपीगण उसे मां-बहन की गालियां देने लगे थे जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो सियाराम ने उसे पकड़कर पटक लिया था तथा रामचित्र ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी एवं पसलियों में चोटें आई थी मौके पर संतोषसिंह व राकेश आ गये थे जिन्होंने उसे बचाया था। आरोपीगण ने कहा था कि पैसे नहीं दिए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना एण्डोरी में अप0क0 99/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

04. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

05. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

06. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 19.10.10 को दिन के करीबन 11 बजे बाराहेड बकनासा के बीच बम्बा की पुलिया आम रोड पर सार्वजनिक स्थल पर फरियादी सतेन्द्र तोमर को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सतेन्द्र तोमर को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सतेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. क्या घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी सतेन्द्र से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

07. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी राकेश सिंह तौमर अ0सा01, फरियादी सतेन्द्रसिंह तोमर अ0सा02, डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 एवं सेवानिवृत्त एसआई हरगोविन्दसिंह अ0सा04 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारणविचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

08. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं किया है। फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के दौरान आरोपी द्वारा गालियां दिए जाने के बिन्दु पर मौन रहा है। यद्यपि प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा मां-बहन की गालियां दिए जाने का उल्लेख है परन्तु यह बात फरियादी सतेन्द्र तोमर अ0सा02 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी गयी है। फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 आरोपी द्वारा गालियां दिए जाने के बिन्दु पर मौन रहा है ऐसी स्थिति में आरोपी उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02

09. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 19.10.10 को वह बाराहड से गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आरोपी रामचित्र एवं सियाराम ने उसकी गाड़ी को रोका था। इस प्रकार फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसकी गाड़ी को रोकना बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने किन साधनों से फरियादी सतेन्द्र को रोका था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी द्वारा रोके जाने के कारण वह अपनी इच्छित दिशा में जाने से बाधित हो गया था ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 341 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकार फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 ने दोनों आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी ने वास्तविक रूप से क्या कहा था यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी वास्तविक हो उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो। मात्र क्षणिक आवेश में दी गयी तुच्छ धमकियों से भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी से उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04

12. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 19.10.10 की है वह बाराहेड से गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में नहर के पास बम्बा के पास रामचित्र और सियाराम खड़े थे उन्होंने उसकी गाड़ी को रोका था और उससे 400/-रुपये शराब पीने के लिए मांगे थे उसने मना किया था तो उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी में और पसली में चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी सियाराम की रिपोर्ट पर उसके विरुद्ध थाना एण्डोरी में रिपोर्ट की गयी थी जिस पर से उसके विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 337 का अपराध संचालित हुआ था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने रंजिशन आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी।

13. साक्षी राकेशसिंह तोमर अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है वह घटना के समय मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

14. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 द्वारा फरियादी सतेन्द्र की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी-1 को प्रमाणित किया गया है एवं सेवानिवृत्त ए.एस.आई. हरगोविन्दसिंह अ0सा04 ने प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक को फरियादी सतेन्द्र के शरीर पर उपहति थी ? उक्त संबंध में डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 19.10.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद में थाना एण्डोरी के आरक्षक रामगोपाल द्वारा लाये जाने पर आहत सतेन्द्र का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने सतेन्द्र के शरीर पर दो चोटें पाई थीं जिनमें से चोट क्रमांक 1 दाहिनी कोहनी पर छिला हुआ घाव एवं चोट क्रमांक 2 सीने में दांयी तरफ नीलगू निशान स्थित था। उसके मतानुसार उक्त दोनों चोटें कड़ी एवं मौंथरी वस्तु से आना संभाव्य थी तथा साधारण प्रकृति की थी एवं उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घण्टे के अंदर की थी उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें फिसलकर गिरने से आना संभव है।

17. फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 ने भी अपने कथन में मारपीट में उसके

दाहिने हाथ की कोहनी एवं पसली में चोट आना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन उसके शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी सतेन्द्रसिंह दाहिने हाथ की कोहनी एवं पसली में चोट होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी का कथन प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी के कथन का समर्थन डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 द्वारा भी किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी सतेन्द्र के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा03 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है उनकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपी से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है। फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह तो प्रमाणित है कि घटना दिनांक 19.10.10 को फरियादी सतेन्द्र के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

18. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी सियाराम ने फरियादी सतेन्द्र से शराब पीने के लिए रुपयों की मांग की थी एवं न देने पर उसकी मारपीट की थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सतेन्द्र तोमर अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह बाराहेड से अपने गांव की तरफ जा रहा था तो रास्ते में नहर के पास बम्बा के पास आरोपी रामचित्र एवं सियाराम ने उसकी गाड़ी को रोककर उससे चार सौ रुपये शराब पीने के लिए मांगे थे जब उसने रुपये देने से मना किया था तो आरोपीगण ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके दाहिने हाथ की कोहनी एवं पसली में चोटें आई थीं। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपी सियाराम की रिपोर्ट पर फरियादी के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 337 का अपराध संचालित हुआ है एवं फरियादी द्वारा उक्त रंजिश के कारण आरोपी के विरुद्ध मिथ्या अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी सियाराम की रिपोर्ट से उसके विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 337 का अपराध संचालित हुआ था। परन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन घटना मिथ्या होना नहीं माना जा सकता है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी ने रंजिश आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में साक्षी राकेश आ0सा01 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष

अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हों तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सतेन्दसिंह तोमर अ0सा02 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि साक्षी राकेश अ0सा01 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि अभियोजन द्वारा फरियादी सतेन्द्र से प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नक्शे मौके को प्रमाणित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन द्वारा मुख्यपरीक्षण के दौरान फरियादी सतेन्द्र से प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं कराया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को ही बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है। फरियादी सतेन्द्र के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की गयी थी। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त ए.एस.आई. हरगोविन्दसिंह अ0सा04 जिसके द्वारा प्रा0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 19.10.10 को फरियादी सतेन्द्रसिंह तोमर की सूचना पर आरोपीगण के विरुद्ध प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की है। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डनीय रहा है।

22. इस प्रकार हरगोविन्दसिंह अ0सा04 ने भी फरियादी सतेन्द्रसिंह तोमर की सूचना पर प्र0पी-2 की रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है तथा फरियादी सतेन्द्र अ0सा02 ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना एण्डोरी में रिपोर्ट लिखाई थी। यद्यपि अभियोजन द्वारा फरियादी सतेन्द्र से प्र0पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं कराया गया है परन्तु यह अभियोजन की लापरवाही है एवं एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा उक्त त्रुटि से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु यह अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सतेन्द्रसिंह तोमर अ0सा02 ने घटना दिनांक को नहर के बम्बा के पास आरोपी सियाराम एवं रामचित्र द्वारा उससे चार सौ रुपये शराब पीने के लिए मांगना तथा न देने पर उसकी लात घूंसों से मारपीट करना बताया है।

उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए चार सौ रुपये मांगने तथा न देने पर उसकी मारपीट करने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाने पर यथाशीघ्र दी गयी है। फरियादी का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र०पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी फरियादी के शरीर के उन्हीं भागों पर चोटें होना वर्णित है जिन भागों पर मारपीट के दौरान चोटें आना फरियादी द्वारा बताया गया है। इस प्रकार फरियादी सतेन्द्र अ०सा००२ के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है। आरोपी की ओर उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में फरियादी की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी सतेन्द्रसिंह तोमर से शराब पीने के लिए चार सौ रूपयों की मांग की तथा न देने पर उसकी लात घूँसों से मारपीट कर उसे उपहति कारित की।

26. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी ने फरियादी सतेन्द्र को स्वेच्छया उपहति कारित की। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई साक्ष्य के अनुसार आरोपी द्वारा फरियादी सतेन्द्र से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसकी लात घूँसों से मारपीट कर उसे उपहति कारित की गयी थी। आरोपी वयस्क व्यक्ति है एवं यह जानने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस तरह से फरियादी सतेन्द्र की मारपीट की जा रही है उससे सतेन्द्र को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी सतेन्द्र को उपहति कारित की गयी थी ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा फरियादी सतेन्द्र को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

27. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 19.10.10 को दिन के 11 बजे बाराहेड बकनासा के बीच बम्बा की पुलिया पर फरियादी सतेन्द्र से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसकी लात घूँसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सियाराम को भा०द०स० की धारा 323/34 एवं 327 के आरोप में दोषी पाती है।

28. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी सियाराम को भा०द०स० की धारा 294, 341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी को भा०द०स० की धारा 323/34 एवं 327 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

29. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च:-

30. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

31. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी द्वारा जिस तरह से फरियादी सतेन्द्र से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी को फरियादी सतेन्द्र के संबंध में भा0द0स0 की धारा 323/34 एवं 327 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है एवं भा0द0स0 की धारा 327 धारा 323/34 से गुरुत्तर है। धारा 327 में धारा 323/34 का अपराध भी समाहित है ऐसी स्थिति में आरोपी को फरियादी सतेन्द्र की मारपीट के लिए भा0द0स0 की धारा 323/34 के अंतर्गत प्रथक से दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है।

32. फलतः यह न्यायालय आरोपी सियाराम को भा0द0स0 की धारा 327 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

33. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

34. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 19.11.10 से दिनांक 22.11.10 एवं दिनांक 12.09.17 से आज दिनांक 10.10.17 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदनुसार सजा वारण्ट तैयार किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –10.10.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)